

>

Title: Election of one Member from Lok Sabha and two members from Rajya Sabha to the Committee on Public Accounts .

श्री भर्तृहरि महाताब (कटक): अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रृक्तिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से समिति की शेष अवधि के लिए डॉ. गिरिजा व्यास जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, के स्थान पर लोक लेखा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect, in the manner required by sub-rule (3) of rule 254 read with sub-rule (1) of rule 309 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, one member from amongst themselves to serve as a member of the Committee on Public Accounts for the un-expired portion of the term of the Committee vice Dr. Girija Vyas appointed as Minister."

The motion was adopted.

...(Interruptions)

श्री भर्तृहरि महाताब : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की शेष अवधि के लिए श्री ई.एम. सुदर्शन नात्चीयप्पन, जिन्हें मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है और डॉ. वी. मैत्रेयन जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हुए हैं, के स्थान पर इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोगित करने हेतु राज्य सभा के दो सदस्यों को नामिनिट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार नामिनिट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

MADAM SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to nominate two members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the House for the un-expired portion of the term of the Committee vice Shri E.M. Sudarasana Natchiappan, appointed as Minister and Dr. V. Maitreyan retired from Rajya Sabha and do communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya Sabha."

The motion was adopted.

...(Interruptions)